

वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए जाने वाले दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन के लिए महत्वपूर्ण सूचना

(द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष (सत्र 2015-16) के छात्र/छात्राओं के लिए)

नवीनीकरण (Renewal) की तिथि : 01 जुलाई 2015 से 30 सितम्बर 2015

सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के वही छात्र/छात्राएँ पात्र हैं जिनके माता/पिता/अभिभावक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू० 2 लाख तक है।

1. वैसे आवेदक जिन्होंने पिछले वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा था, वह अपने आवेदन फॉर्म का नवीनीकरण (Renewal) ही करेंगे। ऐसे आवेदकों के नवीन (Fresh) आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
2. पिछले वर्ष की भाँती इस वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ऑनलाइन भरे जाएँगे। जिसे छात्र/छात्राओं को स्वयं भरना है।
3. शासन द्वारा आवेदकों के आधार कार्ड को उनके बैंक खातों के साथ लिंक कराने पर बल दिया जा रहा है। अतः फॉर्म के नवीनीकरण से पूर्व समस्त आवेदक अपना आधार कार्ड संख्या उस बैंक खाते के साथ लिंक करवा लें जो बैंक खाता संख्या नवीनीकरण फॉर्म में दर्ज है।
4. 30 सितम्बर 2015 के बाद नवीनीकरण (Renewal) का लिंक लॉक हो जायेगा।
5. फाईनल फॉर्म सबमिट करने के पश्चात् ऑनलाइन फॉर्म में की गयीं त्रुटियों (यदि कोई) को आवेदकों द्वारा स्वयं सुधार किये जाने की समयवधि 01 अक्टूबर 2015 से 10 अक्टूबर 2015 तक है जिसके उपरान्त कोई सुधार सम्भव नहीं होगा।

